STATESMAN, Bhubaneswar, 10.3.2025
Page No. 3, Size:(11.55)cms X (9.05)cms.

NHRC seeks ATR on sign language in Court, offices

STATESMAN NEWS SERVICE
BHUBANESWAR ,9 MARCH:

The National Human Rights Commission (NHRC) has sought for Action Taken Report (ATR) from the union Law and Justice Ministry on the alleged human rights violation of differently able persons especially the speech and hearing impaired due to lack of sign languages in Courts, quasi-judicial Forums, police stations and government offices.

Acting on a Petition filed by human rights lawyer Radhakanta Tripathy, the top rights panel passed the order on 7 March.

The petition highlighted the significant challenges faced by deaf, dumb, speech-impaired citizens in accessing justice due to language barriers and inadequate resources.

To address this, the complainant demands the translation of laws, rules, and regulations into Indian Sign Language (ISL), creation of a national legal sign language resource centre, publication of laws and legal documents in ISL.

The petition also called for integration of ISL in legal education and government funding for translation projects aiming to bridge the gap in accessibility to justice and ensure equal participation in the country's legal system for differently- able citizens.

In view of the above, the Commission is of the considered view that there is an urgent need and scope for taking initiatives for translation projects aiming to bridge the gap in accessibility to justice and ensure equal participation in the country's legal system for differently-able citizens, the NHRC observed.

The Commission also directed the Authorities for their comments expeditiously within a period of 15 days treating the matter as urgent.

Nalanda Darpan

NHRC पहुंचा मामला, चंडी में रूह कंपाती शव का सुराग देने वालों को इनाम देगी पुलिस

https://nalandadarpan.com/the-matter-reached-nhrc-police-will-give-reward-to-those-who-give-clues-about-the-soul-stirring-dead-body-in-chandi/

By Nalanda Darpan | March 9, 2025

चंडी (नालंदा दर्पण)। बिहार के नालंदा जिले के चंडी थाना क्षेत्र में दिल दहला देने वाली हत्या का मामला सामने आया है। करीब 25 वर्षीय अज्ञात युवती का शव 5 मार्च की सुबह सड़क किनारे एक खेत के गड्ढे में बरामद किया गया था। शव की हालत इतनी भयावह थी कि देखने वालों की रूह कांप गई। अब इस मामले ने तूल पकड़ लिया है और राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग (NHRC) तक पहुंच गया है।

पुलिस जांच में सामने आया है कि युवती के तलवों में कीलें ठोकी गई थीं, जिससे क्रूरता की पराकाष्ठा झलकती है। उसके शरीर पर जख्मों के निशान थे और पूरे बदन पर भभूत जैसा सफेद पाउडर लगा हुआ था। एक हाथ पर इंटराकेट और दूसरे हाथ पर पट्टी बंधी मिली।

शुरुआती जांच में यह भी आशंका जताई जा रही है कि यह अंधविश्वास से जुड़ा मामला हो सकता है। बिहार सरकार ने 1999 में डायन प्रथा निवारण अधिनियम लागू किया था। यह महिलाओं को अंधविश्वास से जुड़ी हिंसा से बचाने के लिए बनाया गया था। इस घटना ने कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

इस निर्मम हत्या के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के अधिवक्ता ब्रजेश सिंह ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में शिकायत दर्ज कराई है। उन्होंने पुलिस पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि वह महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करने में असफल रही है।

उन्होंने NHRC से मांग की है कि पुलिस महानिदेशक (DGP) से इस पूरे मामले की विस्तृत जांच रिपोर्ट मांगी जाए और यदि मृतका गरीब तबके से आती है तो उसके परिवार को उचित मुआवजा दिया जाए।

अब तक शव की पहचान नहीं हो सकी है। पुलिस ने सोशल मीडिया के जरिए जानकारी साझा की है। साथ ही दूर-दराज तक पोस्टर भी चिपकाए जा रहे हैं। अन्य जिलों की पुलिस को भी मृतका का विवरण भेजा गया है। इस जघन्य अपराध से जुड़े सुराग देने वालों को पुलिस इनाम देने की घोषणा कर चुकी है।

यह मामला पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गया है। स्थानीय लोगों में भी इस हत्याकांड को लेकर भय का माहौल है। पुलिस फिलहाल यह जांच कर रही है कि यह हत्या किसी तांत्रिक अनुष्ठान का हिस्सा थी या इसके पीछे कोई अन्य कारण है।

यह दिल दहला देने वाला मामला कानून व्यवस्था पर सवाल खड़ा करता है। अब देखना होगा कि पुलिस अपराधियों तक कब और कैसे पहुंचती है और क्या मृतका की पहचान उजागर हो पाएगी या नहीं।

TV9 Bharatvarsh

UP-बिहार से लेकर MP तक... बेल के बाद भी देश के जेलों में क्यों कैद हैं 24000 कैदी?

NALSA सुप्रीम कोर्ट की एक रिपोर्ट में चौंकाने वाला खुलासा हुआ है. देश की अलग-अलग जेल में 24,879 से ज़्यादा कैदी जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद हैं. इनमें से आधे से ज़्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से हैं. मानवाधिकार अधिवक्ता ने इस पर चिंता जताते हुए राष्ट्रीय और राज्य मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है.

https://www.tv9hindi.com/state/uttar-pradesh/bail-denied-over-24000-indian-prisoners-remain-jail-despite-bail-approval-3163230.html

संजीव कुमार | Updated on: Mar 09, 2025 | 12:15 PM

देश की अलग-अलग जेलों में 24,000 से ज्यादा ऐसे कैदी मौजूद हैं, जो जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद हैं. इसका खुलासा इंडिया जस्टिस और नालसा सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट से हुआ है. रिपोर्ट के मुताबिक कुल कैदी 24,879 हैं. इनमें 50 प्रतिशत से ज्यादा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और बिहार से हैं. इस मामले को लेकर मानवाधिकार मामलों के अधिवक्ता एस.के.झा ने राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग और बिहार राज्य मानवाधिकार आयोग में दो अलग-अलग याचिका दाखिल की हैं.

मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने बताया कि जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद रहना मानवाधिकार का उल्लंघन है. उन्होंने बताया कि माननीय सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने पहले ही इस बात को कहा था कि जमानत शर्तें पूरी न करने के बावजूद ऐसे बंदियों को रिहा किया जा सकता है, जिन्होंने पूरी सजा का एक तिहाई समय जेल में काटा हो. इसके लिए लोअर कोर्ट जाना होगा.

इन अपराधों में लागू नहीं होता आदेश

सुप्रीम कोर्ट की ओर से यह भी कहा गया था कि जमानत शर्ते पूरी न करने के बावजूद पूरी सजा का एक तिहाई समय जेल में काटने वालों को जमानत देने का आदेश दुष्कर्म और हत्या जैसी अपराधों में नहीं लागू होता. जमानत के बावजूद जेल में बंद होने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में विचाराधीन है. भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा-479 के तहत भी इसे लेकर प्रावधान किए गए हैं.

जमानत मिलने के बाद भी जेल में बंद

हालांकि जानकारी न होने से यह प्रभावी नहीं है. मानवाधिकार अधिवक्ता एस.के.झा ने आयोग से अविलंब हस्तक्षेप की मांग की है और उच्चस्तरीय जांच कर कार्रवाई करने का आग्रह किया है. इस मामले का खुलासा होने के बाद पूरे देश में हलचल मच गई है. ऐसा कई बार देखा जाता है कि लोगों को जेल से जमानत मिलने के बाद भी वह जेल की सलाखों के पीछे ही रह जाते हैं.

अलग-अलग राज्यों के कैदियों की संख्या

उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ऐसे लोग जेल में बंद हैं, जिनके जमानतदार मौजूद नहीं है.

आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 6158 कैदी, मध्य प्रदेश के 4290 कैदी, महाराष्ट्र में 1661 कैदी, केरल में 1124 कैदी, पंजाब और हरियाणा में 922 कैदी, असम में 892 कैदी, तमिलनाडु में 830 कैदी ऐसे ही हैं, जिनके जमानतदार मौजूद नहीं हैं और इस वजह से वह जेल में बंद हैं. बिहार के 3345 कैदी जमानत मिलने के बावजूद जेल में बंद हैं.